दिनांक 12 मार्च 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थितिः–संलग्न।

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की स्थिति को पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां० पदा०/स्थापना

2. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।
3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने लिए सभी को निदेश दिये गये।

अनुपालनः– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय बैठक की समीक्षा हेतु अपने–अपने जिला के प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति निश्चित रूप से प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) को उपलब्ध करायी जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

5. अगामी छः माह में सेवानिवृत हो रहे पदाधिकारी/कर्मियों की समीक्षा कर सेवान्त लाभ का ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि सेवान्त लाभ ससमय भुगतान हो सके।

**अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/
स्थापना प्रशाखा 1 एवं 2**

6. संबंधित स्थापना से सेवानिवृत वैसे कर्मी जिन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिला है उन सभी का विशेष गोपनीय चारित्री यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी नियंत्री पदाधिकारी को कर्मियो को देय ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लिए निदेश दिया गया कि सेवापुस्त के आधार पर मास्टर चार्ट बनाकर निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय

7. **<u>बजट</u>** :–

(i) निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें। ताकि संबंधित पदाधिकारी/कर्मी विभिन्न प्रतिवेदनों की प्राप्ति एवं पर्यवेक्षण हेतु आवश्यकतानुसार क्षेत्र भ्रमण कर सकें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) गत बैठकों में दिये गये स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति बहुत जिलों से अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लभ्य कराना सुनिश्चित किया जाय साथ ही बैंक खातों में संचित अवशेष राशि का मदवार विवरणी भी अंकित की जाय।

(iii) प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा में कई जिलों के रोकड़पंजी एवं बैंक खातें में संधारित राशि के अन्तर पर क्षोभ प्रकट करते हुए निदेश दिया गया कि अन्तर राशि की जाँच कर Reconciliation विवरणी में इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

(iv) विगत राज्यस्तरीय बैठक में विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत आवंटित राशि के विरूद्व 31.03.2019 तक संभावित व्यय की समीक्षा कर शेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 22.02.2019 तक करने का निदेश था, परंतु अधिकांश आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। निदेश है कि आवंटित राशि एवं व्यय की समीक्षा कर प्रत्यार्पण योग्य राशि एवं यदि किसी मद में आवंटन की जरूरत है तो अपने–अपने स्थापना से मांग पत्र एवं प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक 15.03.2019 तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/लेखा शाखा

(v) समीक्षा के क्रम में पुर्णियॉ एवं समस्तीपुर जिला से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बी.टी.सी.–42ए. अप्राप्त पाया गया। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माह मार्च 2019 का वेतन अवरूद्ध रहेगा।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०/लेखा शाखा/निदेशालय

(vi) निदेशालय के पत्रांक 163 दिनांक 28.01.2019 द्वारा वित्त विभाग के निदेशानुसार सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को अपने कार्यालय का त्रैमासिक लेखा का नियमित सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए सत्यापन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/बजट शाखा

8. **<u>अंकेक्षण</u> :–**

अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में औरंगाबाद एवं वैशाली में एक–एक कंडिका लंबित है। सभी को निदेश दिया गया कि संबंधित कंडिका का अनुपालन यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय। साथ ही बजट प्रभारी को निदेश दिया गया कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली को संबंधित अनुपालन हेतु आत्मभारित पत्र दी जाय।

अनुपालनः– जिला सां०पदा० औरंगाबाद एवं वैशाली/बजट शाखा

9. **<u>कृषिः</u>–**

(i) भूमि उपयोग विवरणीः– कृषि वर्ष 2017–18 के भूमि उपयोग विवरणी जिला शेखपुरा से अप्राप्त पाया गया। लंबित प्रतिवेदन 18.03.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– जिला सां०पदा०, शेखपुरा

(ii) फसल सांख्यिकी सुधार योजनाः– फसल सांख्यिकी सुधार योजना के भदई 1.0 एवं 1.1 क्रमशः पू0 चम्पारण एवं मधेपुरा से अप्राप्त है तथा अगहनी 1.0 एवं 1.1 क्रमशः पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा, भागलपुर एवं बांका से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित सां०पदा० पदाधिकारी

(iii) (क) भदई सामान्य जिंसवारः– भदई सामान्य जिंसवार के समीक्षा में **पूर्वी चम्पारण** से वर्ष 2018–19 का प्रतिवेदन लंबित पाया गया। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2019 तक निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– जिला सां०पदा०, पूर्वी चम्पारण

(ख) अगहनी सामान्य जिंसवारः– अगहनी सामान्य जिंसवार पटना, जहानाबाद समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका एवं मधेपुरा जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि सभी वांछित प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2019 तक निदेशालय को लभ्य करायी जाय।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सां०पदा० ।

(ग) भदई प्रक्षेत्र मूल्यः– नालंदा, पूर्वी चम्पारण, मुंगेर एवं पूर्णियॉ से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अचूक रूप से वांछित प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०।

(घ).अगहनी प्रक्षेत्र मूल्यः— नालंदा, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, बांका,, पूर्णियॉ, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय एवं जमुई, से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि अचूक रूप से वांछित प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०।

(iv) (क). भदई मकई 2.0 सुपौल एवं अररिया से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2019 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०।

(ख). भदई धान 2.0 पूर्वी चम्पारण एवं सहरसा से अप्राप्त है। साथ ही अगहनी धान 2.0 नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर, पू० चम्पारण, मधेपुरा, किशनगंज, मुंगेर, बेगुसराय एवं भागलपुर से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— सभी संबंधित जिला सां०पदा०।

(v) **फल—सब्जीः—** फल—सब्जी कटनी प्रयोग यथा अगहनी आलू, बैगन, टमाटर का लंबित अनुसूचियाँ एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०।

10. <u>वर्षापातः—</u>

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वा० तक लोड करने एवं प्रत्येक दिन के वर्षापात से निदेशक महोदय को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(ii) वर्षामापक यंत्र के अधिष्ठापन एवं रख—रखाव तथा मानवबल हेतु आवंटित किये गये राशि का नियमानुकूल व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाण—पत्र निदेशालय को लभ्य कराने साथ ही अव्यवहृत राशि को शीघ्रताशीघ्र प्रत्यार्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय

(iii) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को वर्षापात रिडिंग लेने वाले कर्मियों के पारिश्रमिक हेतु आवंटित राशि का भुगतान करते हुए दिनांक 28.03.2019 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

11. <u>रान्यासः—</u>

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें सत्र के प्रथम उपसत्र में माह फरवरी 2019 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फरवरी तक संपादित सर्वेक्षण के उपरांत भरी हुई अनुसूचियॉ पटना, नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सहरसा, कटिहार, गया, भागलपुर, सारण, सिवान, मधुबनी एवं बेगुसराय निरीक्षणालय के पास लंबित है। उक्त जिलों को सभी लंबित अनुसूचियॉ दिनांक 18.03.2019 तक लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०/अन्वेषक

(ii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्धारित संख्या में निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः—सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय

12. <u>लघु सिंचाई गणनाः—</u>

पंचम एवं छठी लघु सिंचाई गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 में आवंटित राशि को कोषागार से निकासी कर व्यय की गयी राशि का CTMIS से मिलान कर उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं CTMIS की छायाप्रति भेजने तथा शेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 31.03.2019 तक करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः—सभी जिला सां०पदा०

13. जीवनांकः

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित मासिक प्रतिवेदनः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करे।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iii) **जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धिः–** वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व माह फरवरी 19 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 11.65 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जबकि माह फरवरी 19 तक 17 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। सीतामढ़ी (17.47), कटिहार (15.47), किशनगंज (15.20) प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कम उपलब्धि प्राप्त करने वाले जिलें यथा सारण, कैमूर, अररिया, नालंदा, बक्सर एवं रोहतास को अपने रजिस्ट्रीकरण में तेजी लाने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि माह मार्च 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 24 प्रतिशत (लगभग) प्राप्त करने हेतु समुचित प्रयास करें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iv)निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में "विशेष निरीक्षण अभियान" संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर न हो सके।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०

(v) वर्ष 2018 का जीवनांक कार्य से संबंधित धारा 4 (4) का वार्षिक प्रतिवेदन कैमूर, जहानाबाद, सारण, प0 चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को निदेशित किया गया कि धारा 4 (4) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन यथाशीघ्र लभ्य करायी जाय ताकि संकलित प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को भेजा जा सके।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vi)**MCCD का त्रैमासिक प्रतिवेदनः–** संबंधित प्रतिवेदन कई जिलों से अप्राप्त है संबंधित जिलों को सभी त्रैमासिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vii)**MCCD प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–** MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वर्ष 2014–15 का सहरसा से लम्बित है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– जिला सां०पदा०, सहरसा।

(viii)**मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :–** जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०।

(ix)**वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना मद में (जीवनांक से संबंधित) आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रः–** वित्तीय वर्ष 2018–19 में जीवनांक सांख्यिकी कार्यो हेतु राज्य योजना मद में दी गयी राशि का व्यय संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिन जिलों से अप्राप्त है उन्हें आवंटित राशि शत्–प्रतिशत व्यय कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सां०पदा०।

14. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :–

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का **लेखा विवरणी (आय एवं व्यय)** विहित प्रपत्र में सभी जिलों से अप्राप्त है। सभी जिलों को पूर्ण प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०।

(ii) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित लंबित त्रैमासिक प्रतिवेदन ऑन–लाईन भारत सरकार को लभ्य कराने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर, मुंगेर, नालंदा, दरभंगा, बेगुसराय, पटना एवं कटिहार को भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०।

(iii)राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिश्रव के साथ संबंधित जिलों से मांग की गयी थी। जिला भागलपुर, नालंदा, मुंगेर एवं सारण से अभी तक अप्राप्त है। इस सदर्भ में निदेशालय द्वारा बार–बार स्मारित भी किया गया है। आपसे संबंधित अनुपालन अप्राप्त रहने की दशा मे योजना का कार्य योजना निदेशालय स्तर से तैयार करने में कठिनाई महसूस की जा रही है। निदेश दिया गया कि संबंधित वांछित प्रतिवेदन दिनांक 18.03.19 तक निदेशालय को अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०।

15. औद्यौगिक मूल्य सूचकांक प्रतिवेदन :–

औद्यौगिक मूल्य सूचकांक का मासिक प्रतिवेदन सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशालय में समय पर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०।

16. कृषि पदार्थो का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन :–

कृषि पदार्थो का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन निदेशालय के ई–मेल पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०।

17. नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन :–

नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह का अनुवर्ती माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०।

18. बिजनेस रजिस्टर से संबंधित प्रतिवेदन :–

राज्य में विभिन्न निबंधन धाराओं के तहत निबंधित बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए तैयार लिस्ट फ्रेम के आधार पर इनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराकर आपको उपलब्ध करायी गयी विहित प्रपत्र में निबंधन प्राधिकारवार एवं जिलावार बिजनेस रजिस्टर तैयार करने के निमित कार्य योजना एवं इसके कार्यान्वयन पर आगत–व्यय के प्राकंलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। शेष सभी जिलों को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः सभी जिला सां०पदा०/राज्य आय प्रशाखा, मुख्यालय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

17/3/19

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/ 319 /पटना, दिनांकः– 27.03.19

प्रतिलिपिः– 1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

3. संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी, निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/ 319 /पटना, दिनांकः– 27.03.19

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)